

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**  
**(राजकीय वादकरण)**

क्रमांक: प.07(80)राज/वाद/18

जयपुर, दिनांक 10-3-2022

:: आदेश ::

अति० महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर, निदेशालय (वादकरण) एवं अधीनस्थ (नीचे अंकित सूची के कॉलम संख्या-2 में वर्णित) कार्यालयों में उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-3 में वर्णितानुसार नियमित वेतन श्रृंखला के शीघ्रलिपिक के रिक्त पदों के विरुद्ध नशीन विद मैन की संविदा सेवायें कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर ऐजेन्सी के माध्यम से दिनांक 01.03.2022 से दिनांक 28.02.2023 तक अथवा कार्यात्मक आवश्यकता होने तक, दोनों में से जो भी पहले हो, तक लिये जाने की सहमति/स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	नियमित वेतन श्रृंखला के रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
1	निदेशालय, विधि(राजकीय वादकरण) शासन सचिवालय, जयपुर	02
2	अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर	04
3	राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर	07
4	राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर	08
5	अपर लोक अभियोजक, केकडी, जिला अजमेर	01
6	अपर लोक अभियोजक, सं०2, किशनगढ़बास, अलवर	01
7	अपर लोक अभियोजक, सुजानगढ़, झुंझु	01
8	अपर लोक अभियोजक, लालसोत, जिला दौसा	01
9	लोक अभियोजक, धौलपुर	01
10	अपर लोक अभियोजक, बाडी, जिला धौलपुर	01
11	लोक अभियोजक, जयपुर महानगर-1	01
12	अपर लोक अभियोजक संख्या-8, जयपुर महानगर	01
13	अपर लोक अभियोजक संख्या-10, जयपुर महानगर-1, गु० सांगानेर, जयपुर	01
14	अपर लोक अभियोजक संख्या-10, जयपुर महानगर-11, मुख्यालय चौमू, जयपुर	01
15	विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा) जयपुर	01
16	विशिष्ट लोक अभियोजक (साम्प्रदायिक दंगे) जयपुर	01
17	अपर लोक अभियोजक संख्या-2, जयपुर जिला, जयपुर	01
18	अपर लोक अभियोजक, शाहपुरा जयपुर	01
19	विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा) झालावाड़	01
20	विशिष्ट लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एरा.) कोटा	01
21	लोक अभियोजक, प्रतापगढ़	01
22	अपर लोक अभियोजक, मालपुरा, टोंक	01
23	विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा) टोंक	01
	शीघ्रलिपिकों के कुल रिक्त पदों की संख्या	40

उक्त संविदा सेवायें लेते समय वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.04.2018 एवं 14.11.2018 के प्रावधानों की पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

  
10/3/22

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी.संख्या-332200160 दिनांक 08.03.2022 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध बजट मद 2014-00-114-01-00-62 (कम्प्यूटराईजेशन) से वहन किया जावेगा।

नोट:- 1. क्रम संख्या-1 से 4 में वर्णित कार्यालयों में उक्त संविदा सेवायें सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा एवं क्रम संख्या-5 से 23 में वर्णित कार्यालयों में संविदा सेवायें सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा उपलब्ध करवायी जावेगी।

(हिमांकनी गौड़)  
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विद्वान महाधिवक्ता, राज0 जयपुर।
2. महालेखाकार, राज0, जयपुर।
3. अति0 महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
4. संबंधित जिला कलक्टर..... ।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
6. सम्बन्धित लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजकगण .....
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
8. संबंधित कोषाधिकारी -----।
9. सहायक लेखाधिकारी-1, वादकरण।
10. रक्षित पत्रावली।

उपरोक्त विधि विभाग

(हिमांकनी गौड़)  
18/3/22  
विशिष्ट शासन सचिव